9. **राज्य के बाहर के शैक्षणिक संस्थानों / कॉलेजों का अनुमोदन–**

9.1. राज्य के बाहर अन्य राज्यों में स्थित शिक्षण संस्थानों द्वारा विभागीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर भरे गए विवरण की अभिलेखीय जांच एवं त्रुटियों का निराकरण निर्धारित तिथि तक आदिवासी कल्याण आयुक्त, झारखण्ड द्वारा किया जाएगा।

9.2. भरे गए विवरण में संदेह की स्थिति उत्पन्न होने पर विवरण की अभिलेखीय एवं स्थलीय जांच आदिवासी कल्याण आयुक्त, झारखण्ड द्वारा करायी जाएगी।

9.3. राज्य के बाहर अन्य राज्यों में अवस्थित शैक्षणिक संस्थानों / कॉलेजों द्वारा विभागीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर भरे गए विवरण की अभिलेखीय एवं त्रुटियों का निराकरण के पश्चात् छात्रवृत्ति प्रदान किए जाने योग्य संस्थानों की अनुमोदन हेतु निम्न प्रकार समिति का गठन किया जाता है:–

i	आदिवासी कल्याण आयुक्त, झारखण्ड	–अध्यक्ष
ii	अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के संयुक्त सचिव से अन्यून पदाधिकारी	–सदस्य
iii	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड के संयुक्त सचिव से अन्यून पदाधिकारी	–सदस्य
iv	उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, झारखण्ड के संयुक्त सचिव से अन्यून पदाधिकारी	–सदस्य
v	स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड के संयुक्त सचिव से अन्यून पदाधिकारी	–सदस्य
vi	श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड के संयुक्त सचिव से अन्यून पदाधिकारी	–सदस्य
vii	उप निदेशक, आदिवासी कल्याण आयुक्त कार्यालय, झारखण्ड, राँची	–सदस्य सचिव

10. **छात्रवृत्ति का मूल्य:–**

10.1. Tuition Fee, Academic Allowance/Maintenance Fee के वास्तविक राशि तथा निम्न अधिकतम देय सीमा में जो न्यून होगा वह राशि देय होगी। किसी भी परिस्थिति में निम्नलिखित सीमा से अधिक राशि देय नहीं होगी:–

Course Group	Tuition Fee, Academic Allowance/Maintenance Fee etc. (In Rs.)	
	Hosteller	Day-scholar
Group -1 "A"	1,00,000	90,000
Group -1 "B"	90,000	85,000
Group -1 "C"	85,000	80,000
Group- 2 "A"	75,000	70,000
Group- 2 "B"	70,000	65,000
Group- 2 "C"	65,000	60,000
Group- 3	45,000	40,000
Group- 4	35,000	30,000

10.2. सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अनुसूचित जाति पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए निर्धारित Academic Allowance तथा अन्य देय राशि यथा शैक्षणिक शुल्क, अनुरक्षण भत्ता आदि उपर्युक्त राशि के अन्तर्गत ही सम्मिलित हागी। किसी भी परिस्थिति में कंडिका–10.1 में निर्धारित की गयी छात्रवृत्ति की राशि से अधिक राशि देय नहीं होगी।

10.3. सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के अनुसूचित जाति पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना मार्गनिर्देश के अनुसार छात्रवृत्ति के कुल राशि का 60% (साठ प्रतिशत) भुगतान सामाजिक